कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटपूतली (राज0)

क्रमांकः—204—/स्था0

दिनांकः06 जून, 2026

:: परिपत्र ::

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 103 सी के अनुसार महिला कर्मियों को चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत करने के संबंधी प्रावधान है। चाईल्ड केयर लीव को उपार्जित अवकाश के अनुसार मानते हुए स्वीकृत करने के संबंध में नियम 103 सी (2)(xi) में प्रावधित किया गया है। विशेष असमर्थता तथा अध्ययन अवकाश को छोडकर अन्य समस्त प्रकार के अवकाश कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जा सकते है। अतः इस न्यायक्षेत्र के समस्त पीठासीन अधिकारीगण को यह निर्देश दिए जाते है किः—

01. 30 दिवस तक चाईल्ड केयर लीव कार्यालय अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.05.2018, ज्ञापन दिनांक 10.09.2018 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 02/पी.आई./2019 दिनांक 07.01.2019 में दिए गये निर्देशों की पालना करते हुए स्वीकृत किया जा सकता है। इससे अधिक अवधि के अवकाश हेतु आवेदन इस कार्यालय को अनुशंषा सहित/रहित अग्रेषित किए जावे तथा कार्य व्यवस्था का प्रस्ताव भी इस कार्यालय को भिजवाया जावें।
02. अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा एक कार्यालय/एक इकाई में पदस्थापित महिला कर्मचारियों में से किसी महिला कर्मचारी को चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत करते समय यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अवकाश स्वीकृत करने से कार्यालय व्यवस्था एवं सेवा में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय कार्य/सेवाओं का सूचारू रूप से संचालन हो। एक समय में एक कार्यालय में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों को चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

Sd—
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटपूतली।

क्रमांकः—2652—/स्था0

दिनांकः 8 जून, 2026

प्रतिलिपि अग्रलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः—

1. समस्त पीठासीन अधिकारी, कोटपुतली—बहरोड़ न्यायक्षेत्र।
2. सिस्टम असिस्टेंट, जिला न्यायालय, कोटपूतली को इस न्यायक्षेत्र की वेबसाईट/सम्बन्धित न्यायालयों के ई—मेल पर अपलोड करने हेतु।
3. परिपत्र पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कोटपूतली।